राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 33 अंक 9 दिसम्बर 2011 नयी दिल्ली मूल्य 5 रु. पृष्ठ 32

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

स्त्रोत–केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

सकल राज्य घरेलू उत्पाद–वृद्धि दर 11.49 प्रतिशत,*

विगत 5 वर्षों में औसत विकास दर 10.89 प्रतिशत
देश में सर्वाधिक तेजी से विकास करता राज्य

छत्तीसगढ़ में है भारत का–

- 20% आयरनओर
- 17% कोयला भण्डार
- 12% डोलोमाइट
- 12% वन
- 100% टिन

छत्तीसगढ़ में होता है भारत का–

- 16% खनिज उत्पादन
- 27% स्टील एवं स्पांज आयरन
- 30% एल्युमिनियम उत्पादन
- 15% सीमेंट उत्पादन

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

सम्पादक
आशुतोष

सम्पादक मण्डल
अवनीश सिंह
संजीव कुमार सिन्हा

फोन: 011-43098248
ईमेल: chhatrashakti.abvp@gmail.com
ब्लॉग: chhatrashaktiabvp.blogspot.com
वेबसाइट: www.abvp.org

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए राजकुमार शर्मा द्वारा बी-50, विद्यार्थी सदन, क्रिश्चियन कॉलोनी, निकट पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली-07 से प्रकाशित एवं मॉडर्न प्रिन्टर्स, के. 30 नवीन शहादरा, दिल्ली- 32 द्वारा मुद्रित।

संपादकीय कार्यालय:
"छात्रशक्ति भवन"
690, भूतल, गली नं. 21
फैज रोड, करोल बाग,
नई दिल्ली-110005

अनुक्रमणिका

विषय	पृ.सं.
संपादकीय	04
यूथ अगेंस्ट करप्शन ने किया प्रदर्शन	05
अव्यावहारिक भर्ती नीति केवल कृष्ण पनगोत्रा	09
माओवाद और बंगाल के बुद्धिजीवी हरिराम पांडेय	11
राजसत्ता को चुनौती देती छात्र–मजदूर एकता स्वदेश सिंह	13
शिक्षा की दुकानों पर जरुरी सख्ती उमेश चतुर्वेदी	15
गोवा का मुक्ति संग्राम दत्ता नाईक	17
हिन्दुओं के दमन का सेकुलर षड्यंत्र प्रो. राकेश सिन्हा	23
पंडित मदनमोहन मालवीय आशुतोष मिश्रा	26
पुस्तक समीक्षा : हिंद स्वराज की अनंत यात्रा	28

वैधानिक सूचना: राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण सम्बन्धित लेखकों के हैं। सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

भ्रष्टाचार अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है । इसे नकारना ही नहीं, नजरअंदाज करना भी अब किसी के लिये संभव नहीं है। स्वाभाविक ही सत्ताधारी कांग्रेस को इसकी सर्वाधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। संप्रग के घटक दल जो न केवल सत्ता में अपितु भ्रष्टाचार में भी बराबर के हिस्सेदार थे, अपने आप को घिरता हुआ महसूस कर कांग्रेस से अपनी दूरी प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी ने कांग्रेस को भयभीत कर दिया है।

संप्रग सरकार की साख लगातार गिर रही है । संयोग से यह गिरावट उस समय है जबकि कांग्रेस राहुल गांधी की ताजपोशी की जुगत में है। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मंहगाई और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में पूरी तरह विफल रहे हैं तो गृहमंत्री आतंकवादियों और माओवादियों पर शिकंजा कसने के बजाय भगवा आतंक की दुहाई दे रहे हैं। अल्पसंख्यकों के थोक वोट बैंक पर कब्जे की होड़ में तथाकथित सेकुलर दलों के बीच अधिकतम तुष्टीकरण की प्रतियोगिता जारी है।

सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा रोकथाम विधेयक का प्रारूप लाकर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का कीर्तिमान अपने नाम करने का प्रयास किया तो सरकार ने अमेरिकी आकाओं को खुश करने के लिये खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने की चाल चली। कश्मीर पर आयी वार्ताकारों की रपट सार्वजनिक होने पर ही उसके निहितार्थ सामने आयेंगे।

राजनैतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सारे नये विवाद सरकार की रणनीति का हिस्सा हैं ताकि संसद में और सड़क पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहस न खड़ी हो सके। अपने-आप को जनता का सच्चा प्रतिनिधि बताने वाले मार्क्सवादी प. बंगाल की करारी मात से अभी तक बेसुध हैं। क्षेत्रीय दल अपने चुनावी गणित और केन्द्र के साथ सौदेबाजी के अपने दायरे से बाहर आने को तैयार नहीं हैं। यह स्थिति समाज को एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा करती है जहां या तो समाज के बीच से ही कोई नेतृत्व उभर आता है और परिवर्तन की बयार बह निकलती है, अथवा समाज में जड़ता आ जाती है और अंधेरा और अधिक घनीभूत हो उठता है।

भारत के संदर्भ में पहली स्थिति का चित्र क्रमशः स्पष्ट होता जा रहा है। समाज के भीतर सुलग रहा गुस्सा अन्ना या रामदेव के आंदोलन के रूप में सांकेतिक रूप से ही बाहर आया है। जब यह क्रोध लावा बन कर बाहर निकलेगा तो जे पी आंदोलन की तरह भ्रष्टाचार के सारे स्तंभों को ध्वस्त करता जायेगा।

भारत के मानचित्र को लाल रंग में रंगने का मंसूबा पाले जो लोग इस क्रोधावेग में अपने लिये मुकाम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी निराशा ही हाथ लगेगी। भारत की मुख्यधारा अहिंसा और शांति की मौलिक अवधारणा से ही प्रेरणा पाती है। मुट्ठी भर लोगों को बरगला कर बंदूकें थमा देना शायद उनके लिये संभव हो किन्तु भारत के समाज को हिंसा के रास्ते पर ले जाना नितांत असंभव है। यहां परिवर्तन के गीतों में बारूद की गंध नहीं बसती, लोककल्याण और सदभावना की सुगंध ही इनमें चेतना उत्पन्न करती है।

नवंबर माह बदलते परिदृश्य में अनंत संभावनाओं को जन्म दे गया है। अभाविप के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध युवा (यूथ अगेन्स्ट करप्शन) ने जहां पूरे देश में स्थान-स्थान पर विशाल धरनों का आयोजन किया वहीं दिल्ली में आयोजित मजदूरों के विशाल प्रदर्शन में भ्रष्टाचार और कालेधन के मुद्दे पर केन्द्र सरकार को सीधी चेतावनी दी गयी।

मजदूरों का यह प्रदर्शन इस मामले में ऐतिहासिक रहा कि राष्ट्रवाद से ओत-प्रोत मजदूरों के बीच भाकपा नेता गुरुदास दासगुप्ता भी स्वयं को भारत माता की जय और वन्दे मातरम् के नारे लगाने से नहीं रोक सके। भविष्यदृष्टा चिंतक स्व. दत्तोपंत ठेंगड़ी के उस वक्तव्य के सत्य होने का समय संभवतः निकट आ रहा है जिसमें उन्होंने हल्के गुलाबी से गहरे लाल तक सभी रंगों के भगवा में विलीन होने और भारत के एक समर्थ राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित होने की बात कही थी।

वाईएसी के महाधरने संपन्न

यूथ अगेंस्ट करप्शन ने किया देशव्यापी प्रदर्शन

दिल्ली। 'यूथ अगेंस्ट करप्शन' (वाईएसी) के बैनर तले 72 घंटे के राष्ट्रव्यापी धरने के तीसरे और आखरी दिन देश भर के प्रान्त केन्द्रों पर आज हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया। भ्रष्टाचार व काले धन के मुद्दे को लेकर इस राष्ट्रव्यापी धरने में 25 स्थानों पर एक लाख से ज्यादा छात्र–युवा और लोगों ने भाग लिया। इसमें कई सामाजिक, युवा, राजनैतिक संगठनों के अनेकों कार्यकर्ताओं ने वाईएसी के समर्थन में उतरकर इस धरने को और प्रखर व प्रभावी बनाया।

देश भर के कई गैर राजनैतिक संगठनों ने इस महाधरने का समर्थन किया व अपने समर्थन पत्र वाईएसी को दिए। इन 72 घंटों के महाधरनों में वाईएसी ने कई मुद्दों को उठाया। वर्तमान संसद सत्र में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक ठोस कानून और विदेशी बैंकों में पड़े काले धन को वापस लाकर राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की मांग भी इसमें की गयी। आज वाईएसी के राष्ट्रीय सह–संयोजक विष्णुदत्त शर्मा ने रायपुर, दूसरे सह–संयोजक रविकुमार ने हैदराबाद,

एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री उमेश दत्त ने दिल्ली, एबीवीपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री रघुनन्दन ने भुवनेश्वर, वाईएसी राष्ट्रीय समिति सदस्य मंत्री श्रीनिवास ने बेंगलुरु में इन महाधरनों का नेतृत्त्व किया।

उत्तराखंड के हल्द्वानी में इन्ही मुद्दों को लेकर रैली का आयोजन किया गया जिसमे 5000 से अधिक छात्र–युवाओं ने सहभागिता देकर इस भ्रष्टाचार व व्यवस्था के विरूद्ध अपना आक्रोश प्रकट किया। इस रैली को संबोधित करते हुए एबीवीपी के राष्ट्रीय संगठनमंत्री सुनील आम्बेकर ने वर्तमान भ्रष्टाचार के लिए केंद्र सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराते हुए यूपीए सरकार की नाकामियां गिनाई। भ्रष्टाचार तथा भ्रष्ट लोगों का बचाने वाली तथा उनका पोषण करने वाली केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी हजारों की संख्या में सम्मिलित लोगों ने किया। दिल्ली में जंतर–मंतर पर किये गए धरने में उमेश दत्त ने बताया कि भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान हटाने के लिए यूपीए सरकार ने एफडीआई के विषय को लाया है। हम इन

दोनों मुद्दों के विरोध में प्रखरता से लड़ेंगे और सरकार को सबक सिखायेंगे।

महाधरनों में समग्र व्यवस्था परिवर्तन की मांग भी उठाई गयी। वाईएसी के राष्ट्रीय संयोजक सुनील बंसल ने बताया कि जल्द ही वाईएसी चुनाव, प्रशासन, पुलिस, शिक्षा और न्यायिक व्यवस्था के बारे में व्यापक सुधार पर विचार–विमर्श करके एक ठोस प्रारूप लेकर सामने आएगी। इन महाधरनों को मिले उत्साहवर्धक प्रतिसाद को देखते हुए उन्होंने कहा कि वाईएसी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए संकल्पबद्ध है। हम आगे इस आन्दोलन को और तीव्र बनाते हुए सरकार पर दबाव बनायेंगे।

यूथ अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टचार के विरूद्ध चल रहे युवाओं के अभियान का राष्ट्रीय मंच, जिसने पी. चिदंबरम के विरूद्ध अपनी मुहिम को उनके गृह प्रदेश की राजधानी से ही प्रारंभ किया है। यूथ अगेंस्ट करप्शन के प्रदेश संयोजक एडवोकेट के. पलनिकुमार के नेतृत्व में चेन्नई में प्रदर्शन किया गया जिसमें हजारों की संख्या में युवाओं एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया। अपने संबोधन में प्रदेश संयोजक ने पी. चिदंबरम के विरूद्ध तत्काल मुकदमा दर्ज कर टू–जी मामले में उनको गिरफतार किए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि टूजी मामले में सरकार को हुए घाटे में तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम भी समान रूप से जिम्मेदार हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि गृह मंत्री पी. चिदंबरम को तत्काल मंत्री पद से हटाया जाए। उन्होंने घोषणा की कि यूथ अगेंस्ट करप्शन पी. चिदंबरम के खिलाफ समस्त देश में विरोध प्रदर्शन करेगा, जहां भी वे जाते हैं।

यूथ अगेंस्ट करप्शन के राष्ट्रीय सह–संयोजक रवि कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि टूजी घोटाला इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें भारत को 1 लाख 76 हजार करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ, इस मामले में कई लोग गिरफतार भी हुए हैं। ए. राजा, कनीमोझी और शाहिद बलवा जैसे कई बड़े नाम सलाखों के पीछे हैं। लेकिन इस घोटाले में

मुख्य रूप से फायदा उठाने वाले लोग अभी भी बाहर हैं और बड़े पदों पर बैठकर राष्ट्र का नियंत्रण कर रहे हैं जो राष्ट्रीय शर्म का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि घोटाले के दौरान वित्त मंत्री रहने वाले और वर्तमान में गृह मंत्री के हाथों में देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा है, यह विडंबना ही है।

रविकुमार ने चिदंबरम पर आरोप लगाते हुए कहा कि चिदंबरम ने घोटाले के दौरान राजा को मदद की थी और इस मामले पर प्रधानमंत्री ने भी अपनी आंखें मूंद लीं। पी. चिदंबरम उस वक्त वित्त मंत्री थे जब घोटाला हुआ। वित्त मंत्रालय के कार्यालय के 25 मार्च 2011 के ज्ञापन से घोटाले में उनकी संलिप्तता का पता चलता है। उन्होंने कहा कि पी. चिदंबरम के पास घोटाले को रोकने के लिए तीन महीने से अधिक का वक्त था। रवि कुमार ने प्रधानमंत्री की राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता और सत्यनिष्ठा पर भी सवाल उठाया।

वाईएसी के राष्ट्रीय सह संयोजक सहित 100 गिरफ्तार

चेन्नई, 23 नवम्बर। 'यूथ अगेंस्ट करप्शन' के राष्ट्रीय सहसंयोजक श्री रविकुमार को 100 प्रदर्शनकारियों के साथ गिरफ़्तार कर लिया गया। वे चेन्नई मेमोरियल हॉल में टूजी घोटाले में चिदंबरम की संलिप्तता के मददेनजर इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्षनकारियों का

नेतृत्व कर रहे थे।

यूथ अगेंस्ट करप्शन ने तमिलनाडु सरकार और पुलिस की इस बर्बर कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या करार दिया और गिरफतार किए गए प्रदर्शनकारियों को तत्काल रिहा किए जाने की मांग की। यूथ अगेंस्ट करप्शन ने केन्द्र सरकार पर भ्रष्टाचार रोकने में असफल रहने का आरोप लगाया, जिसके कारण देश को नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार पी. चिदंबरम जैसे मंत्रियों का बचाव कर रही है जो राष्ट्र की करोड़ों रूपयों की संपत्ति लूटने का कार्य कर रहे हैं।

चेन्नई मेमोरियल हॉल में हुए इस प्रदर्शन में 2,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया जिसे पहले दिन डा. सुब्रमण्यन स्वामी ने संबोधित किया।

श्री एन. रविकुमार और उनके साथियों को उस वक्त गिरफतार कर लिया गया जब वे पी. चिदंबरम के आवास के सामने प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे थे।

अभाविप ने फूंका चिदंबरम का पुतला

शिमला, 10 नवंबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम का उपायुक्त कार्यालय के बाहर पुतला फूंका। यूपीए सरकार के विरोध में आयोजित प्रदर्शन में अभाविप नेताओं ने केंद्र सरकार पर चिदंबरम को टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले में बचाने की निंदा की।

अभाविप के प्रांत सचिव अजय भेरटा की अध्यक्षता में आयोजित प्रदर्शन में केंद्र सरकार के कार्यों की जमकर आलोचना की गई। परिषद नेताओं का कहना था कि जिस तरह कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेताओं का नाम एक के बाद एक घोटालों में सामने आ रहा है उसे देखते हुए संप्रग सरकार ने सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। अभाविप आने वाले दिनों में संप्रग सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसे प्रदर्शन जारी रखेगी।

भेरटा ने कहा कि टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले में चिदंबरम की भूमिका भी अहम है। केंद्र सरकार सब कुछ जानते हुए भी चिदंबरम को बचाने के प्रयास कर रही है। चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते हुए यह घोटाला सामने आया था। इसलिए नैतिकता के आधार पर पी चिदंबरम को इस्तीफा देना चाहिए।

प्रांत सचिव ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भ्रष्टाचार के खिलाफ चुप नहीं बैठेगी। केंद्र सरकार की कारगुजारी को जनता के सामने ला कर ही अभाविप दम लेगी। इस दौरान अतुल, सचिन, चंद्रशेखर व प्रवीण सहित कई अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।

अव्यावहारिक भर्ती नीति

केवल कृष्ण पनगोत्रा

विधि–विधान किसी की बपौती नहीं। सामाजिक–वैधानिक दृष्टि से विधान पर उनका भी अधिकार नहीं जो सत्ता शीर्ष पर विराजमान होते हैं। लोकतंत्र में सत्ता लोगों की होती है, जनता द्वारा चुने गए उन प्रतिनिधियों या नौकरशाहों की नहीं, जिन्हें जनता मंत्रियों–मुख्यमंत्रियों या सचिवों–आयुक्तों आदि के रूप में राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी बनाकर सत्ता और प्रशासन के आसन पर बिठाती है। बिना गहन चिंतन–मनन के विधि–विधान से छेड़छाड़ लोकतांत्रिक मूल्यों और भावनाओं से खुला खिलवाड़ माना जाता है। संविधान की प्रस्तावना में कहीं इस बात का संकेत नहीं मिलता कि संविधान सम्मत विधि–विधान राजनेताओं और प्रशासकों के अधिकृत दस्तावेज हैं, जिनका वे जब चाहें मनमाफिक और निरंकुश उपयोग कर सकते हैं।

दुर्भाग्य से आज पूरे देश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं जहां लोकतंत्र गर्त में जा रहा है। सत्ताधारी वर्ग विधि–विधान की खुली धज्जियां उड़ा रहा है। लोकतंत्र के नाम और गुणगान के साथ जनता सूली पर है व अपने मौलिक और मानव अधिकारों के लिए छटपटा रही है। संदर्भ में जम्मू–कश्मीर सरकार की हालिया नई रोजगार नीति को देखा जा सकता है। यह भर्ती नीति ऐसा संकेत दे रही है मानो राज्य में आम जनता, युवाओं और राजनेताओं के बीच सहानुभूति के संवाद और समझ का अच्छा–खासा अभाव है। रोजगार को लेकर नई भर्ती के तहत नवंबर 2011 के बाद सरकारी सेवा में आने वाले सभी गैर राजपत्रित कर्मचारी पांच साल तक स्थिर और स्थापित अल्प वेतन हासिल करेंगे। बावजूद सियासी और सामाजिक विरोध के सरकार अपनी प्रस्तावित नीति पर ही अडिग है।

कुछ दिन पूर्व मीडिया के समक्ष मुख्यमंत्री यह कह चुके हैं कि एक कर्मचारी को पूरा वेतन देने के बजाए उतनी ही रकम में वह चार लोगों को रोजगार देना अच्छा समझते हैं। माना कि राज्य आर्थिक तंगी से दो–चार है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि इस तंगी का सारा बोझ उन युवाओं पर डाल दिया जाए जो भविष्य में गैर राजपत्रित सरकारी सेवा में शामिल होंगे। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकारी ताम–झाम वाले ऐसे कई ऊल–जलूल खर्चे हैं जिन्हें बंद करके ऐसी असंवैधानिक नीति से बचा जा सकता है। जिस प्रकार इस नीति का विरोध बढ़ता जा रहा है उससे ऐसा भी मालूम हो रहा है कि सरकार के अड़ियल रवैये से यह विरोध शायद ही कम हो पाए। एक दृष्टि से यह नीति भेद–भावपूर्ण होने के साथ तर्कसंगत भी नहीं है।

मात्र एक तारीख (1 नवंबर 2011) के आधार पर समान वर्ग के कर्मचारियों में आर्थिक और अमानवीय भेद को किसी भी सामाजिक और मानवीय दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। देखा जाए तो प्रस्तावित भर्ती नीति भारतीय संविधान के अध्याय तीन की खिलाफवर्जी के साथ समान काम समान वेतन को प्रतिस्थापित करने वाली धारा 14 और 16 का उल्लंघन भी है और दोनों धाराएं जम्मू–कश्मीर में भी लागू हैं। यकीनन यही कारण है कि समूचे राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के साथ आम जनता भी इस भर्ती नीति का विरोध कर रही है। दरअसल राज्य सरकार इस नीति को शिक्षा विभाग की रहबर–ए–तालीम योजना की तर्ज पर लागू करने के मूड में है और इस योजना के आधार पर लाखों पढ़े–लिखे बेरोजगारों की भ्रमित करती दिख रही है।

ज्ञातव्य है कि रहबर–ए–तालीम योजना का

उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों के स्कूलों में स्थानीय शिक्षक उपलब्ध करवाना है ताकि 21वीं सदी के प्रतिस्पर्धी समाज और तेजी से विकास कर रही दुनिया में समाज की सबसे अहम जरूरत को पूरा किया जा सके। ऐसी योजना मात्र जम्मू–कश्मीर में ही नहीं है अपितु शिक्षा मित्रों या अन्य पदों के रूप में देश के अन्य राज्यों में भी शिक्षा के विस्तार के लिए चलाई जा रही है। मगर किसी भी अन्य राज्य से जम्मू–कश्मीर जैसी असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण रोजगार नीति का समाचार नहीं है। इस दृष्टि से ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि राज्य सरकार बेरोजगारी के मोर्चे पर विफल हो रही है। उन समस्त दावों और वादों की हवा निकल रही है जो करीब एक साल पूर्व 15 अगस्त 2010 को किए गए थे। तब 50 हजार युवाओं को अति शीघ्र नियुक्त करने की घोषणा हुई थी। इसके साथ ही 43 हजार कैजुअल कामगारों को काम देने की घोषणा भी हुई थी। मात्र यही नहीं बल्कि आठवीं कक्षा तक पढ़े युवाओं को दायरे में लाने वाली नीति एक घर एक नौकरी का वादा भी किया गया था।

इन बातों के दृष्टिगत यह भी साफ होता जा रहा है कि सरकार और जनता के बीच अविश्वास की खाई दिनों–दिन बढ़ती ही जा रही है। एक समाजवादी और लोकतांत्रिक सरकार जनता और युवाओं के शोषण की नहीं बल्कि लोगों की सुख–सुविधाओं के प्रति सचेत होती है। आखिर देश जनता से बनता है और देश में अनीति की ऐसी तासीर अच्छे देश का निर्माण नहीं करती।

बेहतर यह है कि राज्य सरकार वित्तीय संकट के नाम पर उन युवाओं के पेट न काटे, जिन्हें राज्य से बहुत उम्मीदें हैं। जिस समाज का युवा निराश हो उस देश और समाज की दशा कैसी होगी, यह जम्मू–कश्मीर के राजनेताओं और नौकरशाहों से अधिक शायद ही देश के किसी कोने के शासक और प्रशासक जानते होंगे। युवाओं के प्रति ऐसा नजरिया क्यों?

(लेखक : जम्मू–कश्मीर मामलों के अध्येता हैं।)

जम्मू-कश्मीर सरकार की नयी भर्ती नीति 'तानाशाही'

जम्मू, 03 नवंबर। जम्मू–कश्मीर सरकार की नयी भर्ती नीति के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में राज्य के कई विद्यालयों में छात्रों ने तीन दिनों तक कक्षाओं का बहिष्कार किया और विरोध मार्च निकाला।

जम्मू विश्वविद्यालय, एमएएम और जीजीएम कालेजों के 300 से अधिक छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया और विक्रम चौक क्षेत्र की ओर मार्च किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोककर तितर–बितर कर दिया।

इस संदर्भ में अभाविप नेता राघव शर्मा ने बताया कि हम राज्य में उमर अब्दुल्ला सरकार की युवा विरोधी नीति को खारिज करते हैं। सरकार को इस नीति को बदलना होगा नहीं तो हम अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। उन्होंने नयी भर्ती नीति को 'तानाशाही' करार देते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने युवाओं का विश्वास खो दिया है। विदित हो कि जम्मू–कश्मीर सरकार ने हाल में एक भर्ती नीति लागू की जिसके तहत नए भर्ती होने वालों को पहले दो वर्षों में मूल वेतन का केवल 50 प्रतिशत और अगले तीन वर्ष तक इसका 75 प्रतिशत ही दिया जाएगा और इसमें अन्य कोई भत्ता शामिल नहीं होगा।

वहीं नौ नवंबर को अभाविप कार्यकर्ताओं द्वारा इस नीति को रद्द करने के लिए प्रस्तावित सचिवालय चलो रैली को असफल बनाने के लिए प्रशासन ने परिषद के परेड स्थित आफिस में दबिश दे कर विद्यार्थी परिषद के दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।

माओवाद और बंगाल के बुद्धिजीवी

हरिराम पांडेय

कोलकाता के बुद्धिजीवी गुस्से में हैं। उनका यह गुस्सा गणतंत्र अधिकार बचाओ संघ को रैली की इजाजत न दिए जाने को लेकर है। विख्यात लेखिका महाश्वेता देवी ने तो इसके लिए ममता बनर्जी की सरकार को फासीवादी तक कह दिया है। महाश्वेता ही नहीं, अभिनेत्री अपर्णा सेन, नाटककार विभास चक्रवर्ती, सुमन मुखोपाध्याय, लेखिका सुचित्र भट्टाचार्य, गायक प्रतुल्ल मुखोपाध्याय, कवि शंख घोष सहित कई और बुद्धिजीवियों ने पश्चिम बंगाल सरकार के इस कदम की तीखी आलोचना की है।

मसला राजनीतिक कैदियों यानी नक्सलवादियों की रिहाई और जंगल महल (वनक्षेत्र) में माओवादियों के विरुद्ध अभियान का है। यह रैली दरअसल इन्हीं मांगों को लेकर आयोजित की गई थी, जिसका मकसद माओवादियों के समर्थन में सरकार पर दबाव बनाना था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि माओवादियों के लिए सरकार से मध्यस्थता करने वालों को जब यह अभियान रुकवाने में सफलता नहीं मिली, तो अब वे इसके लिए बुद्धिजीवियों की मदद ले रहे हैं। विरोध करने वाले इन्हीं बुद्धिजीवियों में से कई लोगों ने चुनाव से पहले ममता बनर्जी के समर्थन में रैलियां निकाली थीं।

माओवादी और उनके समर्थक चाहते हैं कि सरकार उनके खिलाफ चल रहा अभियान रोक दे, यानी एक तरह से युद्ध विराम कर दे। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि माओवादी हथियार डाल दें। युद्ध विराम और हथियार डालने के अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हैं और दोनों पक्ष इसके मायने बखूबी समझते हैं। शहर के बुद्धिजीवियों का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी मार्क्सवादी आदर्शों से जुड़ा हुआ है। बंगाल के समाज में आरंभ से ही बुद्धिजीवियों का बड़ा सम्मान रहा है। विडंबना यह है कि सरकार से सारी सुविधाएं हासिल करने के बावजूद इन बुद्धिजीवियों ने कभी भी खुलकर माओवादियों के विरुद्ध कुछ नहीं कहा और न माओवादियों से शांति का रास्ता अख्तियार करने की ही अपील की। चार दशक पहले नक्सली आंदोलन के कारण बंगाल की धरती खून से लाल हो गई थी। सैकड़ों किशोरों की जानें गईं। लेकिन बंगाल का बुद्धिजीवी समाज न उस समय हिंसा के विरोध में खड़ा हुआ था और न आज खड़ा हो रहा है। वह आग नक्सलबाड़ी के खेतों से फैली थी और आज का माओवादी दावानल जंगलों से फैल रहा है। दोनों का चरित्र एक ही है।

कुछ बुद्धिजीवियों की दलील है कि आदिवासी बहुल इलाकों का समुचित विकास नहीं होने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। लेकिन यह केवल इसी क्षेत्र की स्थिति नहीं है। यह हाल तो लगभग पूरे देश में है। वाम मोर्चा के 34 साल के शासनकाल में जंगल महल के इन बाशिंदों का विकास नहीं हुआ। यहां तक कि केंद्र सरकार द्वारा आबंटित राशि का एक छोटा भाग ही इन तक पहुंच पाया। माओवादियों ने इस स्थिति का लाभ उठाया और जंगलों पर एक तरह से कब्जा कर लिया। आदिवासियों के बारे में जब भी बातें होती हैं या कोई आंदोलन आरंभ होता है, तो एक ही बात कही जाती है कि आदिवासी इलाकों में विकास नहीं हुआ, विकास के अभाव में ही इन इलाकों

में उग्रवाद पनप रहा है। आदिवासी इलाकों में विकासहीनता की बात में दम नहीं है। विकास के अभाव का जिस तरह बहाना बनाया जा रहा है, उस पर यदि सोचें, तो पंजाब में 1980 के दशक के खालिस्तानी आंदोलन के लिए कोई तर्क हमारे पास नहीं होगा। पंजाब में हरित क्रांति के बाद उग्रवाद का पनपना इस बात का संकेत है कि उग्रवाद का विकासहीनता से कोई संबंध नहीं है।

उग्रवाद एक राजनीतिक फिनोमिना है और यह उन ताकतों के लिए सहज रास्ता है, जो मुख्यधारा की राजनीति में स्वाभाविक राजनीति के जरिये स्थान नहीं बना पाते। उग्रवाद के संदर्भ में विकासहीनता एक स्टीरियोटाइप है। विकासहीनता की बात लालगढ़ (पश्चिम बंगाल) में भी गलत है। लालगढ़ की नौ हजार की आबादी में 10 माध्यमिक स्कूल, एक कॉलेज और अनेक निजी स्कूल हैं। इन आंदोलनों का आदिवासियों के हितों के संरक्षण और विस्तार के साथ कोई संबंध नहीं है। लालगढ़ में चल रहे माओवादी संघर्ष में यह तथ्य सामने आ चुका है कि इस आंदोलन में नेतृत्व करने वाले आदिवासी नहीं हैं।

माओवादी नेता किसनजी के लैपटॉप और अन्य गिरफ्तार माओवादियों के पास से जो दस्तावेज मिले हैं, झारखंड के नेता मधु कोड़ा के पास से सीबीआई ने छापे के दौरान जो दस्तावेज पकड़े हैं, वे इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि माओवाद प्रभावित इलाकों में पंचायत से लेकर खदान तक माओवादियों का हफ्ता बंधा है और सालाना दो हजार करोड़ रुपये की वे वसूली कर रहे हैं। इन रुपयों से हथियार खरीदने से लेकर कैडर के पालन–पोषण और बुद्धिजीवियों के खर्चे के लिए धन भी मुहैया कराया जाता है। माओवादियों के पास बेनामी धन कैसे पहुंच रहा है और वे उसे कैसे जमा करते हैं, इसका एक ही उदाहरण काफी है। साल 2009 में पश्चिम बंगाल की पुलिस ने एक युवा माओवादी को गिरफ्तार किया था, उसके बैंक खाते में एक साल में 36 करोड़ रुपये जमा हुए थे।

अतीत में, सरकार ने माओवादियों से वार्ता के लिए कई बार पेशकश की, पर वे नहीं माने। अलबत्ता, यह सच है कि किसी भी सरकार ने अपने आश्वासनों को पूरा नहीं किया। लेकिन अब तक जब भी संघर्ष विराम हुआ है, माओवादियों ने उस अवसर का लाभ संगठन को मजबूत बनाने और हथियार एकत्र करने के लिए किया। वे अब भी यही चाहते हैं।

पश्चिम बंगाल के जंगल महल में जो हो रहा है, उसकी जड़ें काफी गहरी हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने जंगल महल में तैनात पुलिस के बल पर अपने कैडरों को हथियारबंद करने और प्रतिद्वंद्वी दल तृणमूल कांग्रेस को समाप्त करने की कोशिश की थी। यह कैडर आदिवासियों के खिलाफ सक्रिय था, इसलिए माओवादियों ने उनके बीच अपना आधार बना लिया। आदिवासी इलाकों से ममता बनर्जी को काफी संख्या में वोट मिले थे। इसलिए अब वह वहां अपनी पार्टी के आधार को और मजबूत करना चाहती हैं। सरकार चलाने वाले दल के पास इसका एक ही तरीका होता है, क्षेत्र के विकास की कोशिश। माओवादी यही नहीं चाहते, क्योंकि इससे उनका अपना आधार खत्म होने लगेगा। इसीलिए वे सशर्त वार्ता जैसी बातें कर रहे हैं, जिसके पिछले अनुभव बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। वे बुद्धिजीवियों का इस्तेमाल बातचीत का दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

राजसत्ता को चुनौती देती छात्र-मजदूर एकता

स्वदेश सिंह

किसी विद्वान ने कहा है कि सत्ता निरंकुश बनाती है और पूर्ण सत्ता पूर्णतः निरंकुश। लोकतंत्र में राज्यसत्ता निरकुंश न हो इसके लिए जनसत्ता का जाग्रत होना बहुत जरूरी होता है। देश की सज्जन शक्ति का संगठन और जागरण ही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है।

गत 23 नवबंर को दिल्ली के रामलीला मैदान में करीब एक लाख मजदूर एकत्रित हुए। दुनिया के सबसे बड़े मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ की तरफ से आयोजित ये रैली सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी, काला बाजारी और मजदूर–विरोधी नीतियों के खिलाफ थी। मजदूर संघ की इस रैली की मुख्य मांगें थीं– अनुबंधित श्रमिक व्यवस्था खत्म की जाए। खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश को मंजूरी नहीं, भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए कड़ा कानून बने, बढ़ते दामों की रोकथाम की जाए और विदेशों में जमा काला धन वापस लाया जाए।

अगर देश में कहीं भ्रष्टाचार, महंगाई और कालाबाजारी होती है तो सबसे बुरा असर दिहाड़ी पर काम करने वाले देश के 52 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के जीवन पर पड़ता है। रैली में आए लोगों का साफ कहना था कि मौजूदा सरकार विदेशी ताकतों के हाथ का खिलौना बन गई है। सरकार कभी तेल के दाम बढ़ा देती है तो कभी खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति देने लगती है। ये नीतियां भारत–विरोधी, गरीब–विरोधी हैं। इनका सीधा असर आम मजदूर पर पड़ता है। उदारीकरण के बीस साल पूरे होने पर अगर आकलन करें तो पाएंगें कि गरीब और अमीर के बीच अंतर बढ़ा है। गरीब और गरीब और अमीर और अमीर हुआ है।

भारतीय मजदूर संघ की इस रैली में सरकार को चुनौती देते हुए कहा गया कि अगर सरकार ने जल्द ही कारगर कदम नहीं उठाए तो दिल्ली में 10 लाख मजदूर संसद घेरने पहुंचेगे। वहीं दूसरी तरफ देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन चलाया था। देश भर में भ्रष्टाचार के पुतला दहन, 24 घंटे का मौन उपवास और धरने का आयोजन विभिन्न जगहों पर किया गया था। चार मार्च, 2011 को दिल्ली में संसद पर हजारों छात्रों ने भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन किया। इससे पूर्व भ्रष्टाचारियों गद्दी छोड़ो और कठोर कानून बनाओ के नारे के साथ रामलीला मैदान से लेकर जंतर–मंतर तक छात्रों ने रैली निकाल कर सभा का आयोजन किया।

पिछली 12 मई को अखिल भारतीय विद्यार्थी की प्रेरणा से यूथ अगेंस्ट करप्शन (वाईएसी) का गठन किया गया। वाईएसी ने पिछले आठ महीनों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देश में युवाओं और विद्यार्थियों को एक जुटकर जनमत खड़ा करने का काम किया है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में हुए 2जी, सीडब्ल्यूजी घोटालों और आदर्श घोटाले के बारे में छात्रों–युवाओं के पास जानकारी तो थी पर इन घोटालों का आम जनजीवन पर कैसे असर पड़ रहा है इसे बताने और समझाने का काम वाईएसी ने किया है। देखने में आया है कि इन मुद्दों को लेकर छात्र और युवाओं में संवेदनशीलता बढ़ी है। इस देश का आम नागरिक भ्रष्टाचार, जमाखोरी और काला बाजारी से त्रस्त था और इसका असर उसके दैनिक जीवन पर साफ दिख रहा था। ऐसे मौके पर एक ऐसे फोरम की जरूरत थी जो इन मुद्दों को युवाओं और छात्रों के माध्यम से उठा सके। पिछले कुछ महीनों में ऐसे ही एक फोरम के रूप में वाईएसी सामने आया है।

वाईएसी के फोरम से जिला केंद्रों से लेकर राज्यों की राजधानियों और दिल्ली तक में भारी संख्या में प्रदर्शन, चक्काजाम और रैली के आयोजन हुए हैं। पिछली 27 जुलाई को वाईएसी के फोरम के माध्यम से 439 स्थानों पर 6 लाख विद्यार्थियों ने विभिन्न जिला केंद्रों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बेंगालुरू में 20 हजार

छात्र–युवाओं ने मानव श्रंखला बनायी। सिलचर और पोर्ट ब्लेयर जैसे सुदूर स्थानों पर भी प्रभावशाली प्रदर्शन हुए।

9 अगस्त को सैकड़ों स्थानों पर भ्रष्टाचार के विरोध में हजारों छात्रों ने चक्का जाम किया। लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बर्बर लाठी चार्ज किया। अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आम्बेकर, महामंत्री उमेश दत्त तथा वाई ए सी के राष्ट्रीय संयोजक सुनील बंसल सहित तीन हजार से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया।

18 अगस्त को भ्रष्टाचार के विरोध और अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर वाईएसी ने देश भर में बंद का आयोजन किया जिसमें करीब 16000 शिक्षण संस्थान बंद रहे। इस दिन देश के 365 जिला केंद्रों के 1804 स्थानों पर करीब छह लाख विद्यार्थियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया।

26 अगस्त को देश भर में भ्रष्टाचार के विरोध में करीब चार लाख छात्रों ने 331 जिला केंद्रों पर 796 मानव श्रंखलाएं बनाकर भ्रष्टाचार को रोकने का संकल्प लिया।

18 अक्तूबर को देश भर के विभिन्न जिला केन्द्रों पर विदेश में जमा काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना दिया गया जिसमें 50 हजार से ज्यादा युवाओं का सहभाग रहा। नक्सलवाद से जूझ रहे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में विशाल धरना आयोजित हुआ।

4 नवंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय छात्रसंघ नेता सम्मेलन आयोजित किया गया जिसका उद्देश्य था कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ की पहल पर देश के तमाम छात्रसंघ और नेता एक साथ आएं और भ्रष्टाचार की इस लड़ाई का नेतृत्व करें।

वाईएसी द्वारा इतनी कवायद करने के बाद अब भ्रष्टाचार के खिलाफ इस आंदोलन से छात्र और युवा स्वतःस्फूर्त ढंग से जुडे रहे हैं। उन्हें समझ आने लगा है कि जो लोग कल तक जमाखोरी करते थे वो आज सरकार का हिस्सा हैं। 2जी स्पेक्ट्रम और सीडब्ल्यूजी घोटालों में सुरेश कलमाड़ी और ए राजा की गिरफ्तारियां हुई हैं और वाईएसी के मंच से 2जी घोटाले की पोल खोलने वाले वरिष्ठ नेता सुब्रमनियम स्वामी ने कहा है कि 2जी के तार सरकार में बैठे वरिष्ठ मंत्रियों से भी जुड़ते हैं और आज नहीं तो कल उन्हें भी पहले तो इस्तीफ देना होगा फिर जेल जाना होगा। देश के विद्यार्थी और युवा जब भ्रष्टाचार के खिलाफ इस प्रकार से लामबंद हो रहे हैं ऐसे मौके पर भारतीय मजदूर संघ की ये रैली ये बात साफ करती है कि देश का युवा, छात्र और मजदूर – मौजूदा सरकार की नवउदारवादी, जन–विरोधी नीतियों को नकारता है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक साथ खड़ा है। इससे पहले, मजदूर संघ ने फरवरी, 2011 में हुए त्रैवार्षिक सम्मेलन में अपने पहले प्रस्ताव में जहां सरकार की नवउदारवादी नीतियों को सिरे से नकारा था वहीं दूसरे प्रस्ताव में विदेश में जमा काला धन वापस लाने की बात कही थी।

इतिहास साक्षी है कि देश की मजदूर–शक्ति और युवा–छात्र–शक्ति ने जब–जब मिलकर एक ही मुद्दे पर आवाज उठाई है तो सरकारें गिरी हैं, बदलाव आया है, नया नेतृत्व उभरा है, युगानुकूल नवरचना हुई है, पुनर्निर्माण हुआ है। 1974 में जब देश में इंदिरा गांधी की भ्रष्ट सरकार निरकुंशता की सारी सीमाएं लांघती जा रही थी तब गुजरात और बिहार में एबवीपी ने ही नवनिर्माण आंदोलन के माध्यम से युवाओं और छात्रों को जोड़ने की जिम्मेदारी ली और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को नेतृत्व करने के लिए बुलाया। उसके बाद मजदूर, किसान, वकील, अध्यापक और समाज के सभी वर्ग के लोग इस आंदोलन से जुड़े और सत्ता परिवर्तन हुआ। 1990 का विराट राम मंदिर आंदोलन भी इससे अलग नहीं था जब समाज के सभी वर्ग के लोग एक हेतु के लिए साथ आए।

आज फिर जरूरत है कि भारत–भक्ति की प्रेरणा से देश की युवा–छात्र–मजदूर शक्ति जिस प्रकार संगठित हो रही उसे हर प्रकार से सहयोग किया जाए। हम सबको साथ लड़ने की जरूरत है, साथ खड़े होने की जरूरत है। साफ दिख रहा है कि इतिहास अपने आपको दोहराने वाला है।

(लेखक : पत्रकार एवं शोध छात्र हैं)

शिक्षा की दुकानों पर सख्ती जरुरी

उमेश चतुर्वेदी

तात्कालिक राजनीति और दूसरी तरह की खबरों और चिंताओं के बीच कई बार जरूरी घटनाएं और कदम हमारी नजरों से उपेक्षित रह जाते हैं। जबकि उनका असर लंबे समय तक पड़ने वाला होता है। कई बार पीढ़ियों को उनका फायदा और नुकसान भी उठाना पड़ता है। उच्च शिक्षा विधेयक 2011 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। राहुल गांधी के मिशन उत्तर प्रदेश और मायावती के उत्तर प्रदेश के बंटवारे की खबरों के जाल में इस विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की बात कहीं खो गई। उदारवाद के दौर में जिस तरह शिक्षा को भी दुकानदारी की तरफ धकेला जा रहा है या दूसरे शब्दों में कहें तो एक हद तक यह कोशिश कामयाब भी हो रही है, ऐसे में इस विधेयक पर गौर किया जाना ज्यादा जरूरी है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इस विधेयक को हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सरकार ने इसे पिछले साल संसद में तकनीकी, चिकित्सा शिक्षा संस्थान एवं विश्वविद्यालयों में अनाचरण प्रतिबंधित करने संबंधी विधेयक–2010 के नाम से पेश किया था।

हालांकि तीन मई 2010 को संसद में पेश होने के बाद इसे संसदीय समिति को सौंप दिया गया। समिति ने काफी विचार–विमर्श के बाद 30 मई 2011 को इस विधेयक को लेकर 48 सुझाव दिए थे, जिसमें से कैबिनेट ने 41 को ही स्वीकार किया है। बाकी सिफारिशों को दरकिनार कर दिया गया। देश में मौजूद निजी क्षेत्र के तमाम शिक्षा संस्थानों और डीम्ड विश्वविद्यालयों की तरफ तकनीकी और उच्चशिक्षा के लिए लोग आकर्षित हो रहे हैं, उसमें तमाम तरह की धोखाधड़ी और शैक्षिक गुणवत्ता की शिकायतें आती रहती हैं। इस लिहाज से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का दावा है कि इस विधेयक के पास होने के बाद शैक्षिक गुणवत्ता से खिलवाड़ करने वाले डीम्ड विश्वविद्यालयों और संस्थानों पर नकेल कसी जा सकेगी। इस विधेयक में अधिक फीस वसूलने, डोनेशन–कैपिटेशन फीस लेने, फीस लेकर रसीद न देने, अनुचित तरीके से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के संचालन, कदाचार युक्त प्रवेश प्रक्रिया, झूठे दावे करने और गुमराह करने की स्थिति में संस्थानों के संचालकों को न सिर्फ दंडित किया जा सकेगा, बल्कि उन पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना किया जा सकेगा।

पहले विधेयक में 50 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान था। इस विधेयक के पास होने के बाद उच्च शिक्षा संस्थानों को अपने यहां शिकायत निवारण केंद्र बनाने होंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दावे पर गौर करें तो लगता ऐसा है कि इस विधेयक के पारित होने के बाद ही उच्च शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आ जाएगी और शिक्षा की दुकानों पर नकेल कस दी जाएगी, लेकिन क्या हकीकत में इस विधेयक के पारित होने के बाद भी हालात बदलने वाले हैं। जिन कदाचारों को लेकर इस विधेयक का प्रावधान किया गया है, उनमें से ज्यादातर दिक्कतें निजी डीम्ड विश्वविद्यालयों के साथ ही है। दिल्ली की सीमा से लगे हरियाणा के एक निजी डीम्ड विश्वविद्यालय में पत्रकारिता, अंग्रेजी, इंजीनियरिंग समेत तमाम विषयों के शिक्षकों की भर्ती करते हुए संचालकों के घर की दो महिलाओं को इन पंक्तियों के लेखक ने खुद देखा है।

चित्रकार लियोनार्दो द विंची के बारे में माना जाता रहा है कि वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कुछ उन्हीं की तर्ज पर इस विश्वविद्यालय के संचालकों के घर की दो महिलाएं हर विषय के शिक्षकों के ज्ञान को परख रही थीं। साफ है कि उनका मकसद सस्ते और टिकाऊ और एक हद तक कामचलाऊ अध्यापक अपने विश्वविद्यालय के लिए नियुक्त करना था, लेकिन जब वही विश्वविद्यालय अपनी विवरणिका बनाएगा तो छात्र को लुभाने के लिए ऐसे दिखाएगा, मानो उसने देश के सबसे नामी संस्थानों की प्रतिभाओं को छांटकर तराशा है। कोट और चमकीली टाई पहने अध्यापकों के फोटो के साथ

छात्रों को लुभाया जाएगा। दिल्ली की सीमा से ही सटे हरियाणा के दूसरे डीम्ड विश्वविद्यालय में एक डीन को गीता पर ज्ञान देने की आदत है और उस ज्ञान को सुनना अध्यापकों और छात्रों की मजबूरी। दो कुर्सियां और एक वीडियो एडिटिंग मशीन लगाकर यहां के छात्रों को स्टूडियो का भ्रम जताया जाता है। लाइब्रेरी में कुछ सौ किताबें रखी हैं, लेकिन दावा तो यह है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा वहीं दी जाती है। यहां भी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए योग्यता के मानदंडों का ध्यान नहीं है। रिसर्च असिस्टेंट रहे शख्स को विभागाध्यक्ष बना दिया जाता है, लेकिन छात्रों को ऐसे भरमाया जाता है, मानो उनके यहां पढ़ाई कोलंबिया विश्वविद्यालय के स्तर की दी जाती है। वैसे इन दोनों विश्वविद्यालयों में पढ़ाने से ज्यादा जरूरी है छात्रों को क्लास रूमों में बांधकर रखना और गाहे–बगाहे उनसे फीस वसूलना।

दरअसल, इन विश्वविद्यालयों का मकसद बेहतर शिक्षा मुहैया कराना कम, हरियाणा और दिल्ली के उन बच्चों को लुभाना है, जिनके घर वालों के पास मोटी रकम तो है, उन्हें डिग्री भी चाहिए, लेकिन उनके पास किसी ठीकठाक संस्थान में दाखिला कराने का विकल्प नहीं है। इस विश्वविद्यालय के दो–तीन खास फैकल्टी में हफ्ते में दो दिनों तक लड़कों के लिए टाई और लड़कियों के लिए देसी परिधान पहनना जरूरी है। गलती से बच्चे नहीं पहनकर आए तो वहां उनका नाम नोट किया जाता है और जब सेमेस्टर परीक्षाओं की बारी आती है तो उनसे इसके लिए बाकायदा अर्थ दंड वसूला जाता है, जिसकी कोई रसीद नहीं दी जाती। इस पैसे से हर विभाग के विभागाध्यक्ष और उनके चहेते और डीन अपने शराब–सिगरेट और दूसरे खर्च पूरे करते हैं। दावा तो यह है कि उच्च शिक्षा विधेयक इन्हीं कदाचार पर रोक लगाएगा, लेकिन क्या यह इतना आसान है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टंडन समिति रिपोर्ट दे चुकी है कि 128 डीम्ड विश्वविद्यालयों में से 44 घरेलू दुकानों की तरह चलाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद ये दुकानें लगातार चल रही हैं।

सरकार का रवैया भी इन कदाचारी विश्वविद्यालयों पर रोक लगाता नजर नहीं आ रहा है तो कैसे मान लिया जाए कि उच्च शिक्षा विधेयक पास होने के बाद भी हालात बदल जाएंगे। क्योंकि कानून लागू करने वाली एजेंसियां तो वही रहेंगी। जब कदाचार वाले डीम्ड विश्वविद्यालयों या संस्थानों पर कार्रवाई की बात आती है तो छात्र हितों की दुहाई दी जाने लगती है और छात्र हितों के नाम पर वे विश्वविद्यालय और संस्थान अदालतों से स्थगन आदेश हासिल कर लेते हैं और कमाई की यह दुकान चलती रहती है। हकीकत तो यह है कि तमाम असुविधाओं के बावजूद सरकारी संस्थानों या उनके अधीन आने वाले निजी संस्थानों में गड़बड़ियां कम हैं, क्योंकि उन पर सरकारी संस्थानों और नियामक तंत्र का एक हद तक अंकुश है। वहां अध्यापक पढ़ाने में ढिलाई कर सकता है, नियुक्ति में भी ढिलाई और भाई–भतीजावाद हो सकता है। लेकिन निर्धारित योग्यताओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कायदे से जांच कराई जाए तो निजी डीम्ड विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में निर्धारित योग्यता के लिए जाली सर्टिफिकेट हासिल करके नियुक्ति देने और पाने का खेल भी खूब चल रहा है और उच्च शिक्षा विधेयक इस प्रक्रिया पर रोक लगाने की दिशा में ठोस पहल करता नहीं दिखता।

उदारवाद के दौर में जिस तरह सरकार ने उच्च शिक्षा को लेकर हाथ खड़े कर दिए और उदारीकरण के नाम पर शिक्षा की दुकानों को बढ़ावा दिया, उसमें शिक्षा देने का पवित्र मकसद ही गायब हो गया है। अब दिखाने के लिए गीता का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन हकीकत में निजी विश्वविद्यालयों के अधिकारी इसे पैसा कमाने का जरिया ही बना चुके हैं। इस मानसिकता के साथ उच्च शिक्षा में गुणवत्ता हासिल नहीं की जा सकती। अव्वल तो होना यह चाहिए कि सबसे पहले शिक्षादान के मकसद में पवित्रता का भाव भरा जाता। शिक्षा की दुकानदारी को निरुत्साहित करने की आज ज्यादा जरूरत है। शिक्षा की दुकानें सजाए लोगों को जब तक सजा नहीं मिलेगी, दुकानदारी को निरुत्साहित करना संभव नहीं होगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

गोवा का मुक्ति संग्राम

प्रा. दत्ता नाईक

19 दिसंबर 1961। इस शुभ दिन पर पुर्तगाली उपनिवेशवादी सत्ता को भारतीय सेना ने युद्ध के मैदान में परास्त करके देश के पश्चिम किनारे पर बसे गोवा, दमण और दीव प्रदेशों का भारत में विलय कराया। इस घटना को अब पचास वर्ष पूरे हो रहे हैं। गोवा में यह वर्ष मुक्ति का सुवर्ण महोत्सवी वर्ष मनाया जा रहा है।

किसी भी प्रदेश में जब सशस्त्र सेना प्रवेश करती है तब जनता डर से छिप जाती है लेकिन गोवा की जनता ने भारतीय सेना का खुलकर स्वागत किया। जैसे–जैसे सेना आगे बढ रही थी वैसे–वैसे लोग सेनाधिकारियों का आरती उतारकर सम्मानपूर्वक स्वागत करते थे। 450 वर्षों से दबी हुई भावना को आज खुला वातावरण प्राप्त हुआ था। पुर्तगालियों के आतंक से पीडित लोग गली–गली में इकट्ठे होकर 'जय हिंद', 'भारत माता की जय', 'वन्दे मातरम' आदि नारे लगाने लगे। जनता का उत्साह इतना था कि एक सप्ताह तक उत्सव का माहौल बना रहा। लोग अपने काम पर नहीं गये और बच्चे स्कूल नहीं गये।

अविरत संग्राम

25 नवंबर 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा में पाँव रखा तब से इस प्रदेश में आतंक का तांडव चलता रहा। साम्राज्य विस्तार के साथ–साथ ईसाई मत का प्रसार पुर्तगालियों का महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा। मत प्रसार के लिये उन्होंने कोई भी मार्ग नहीं छोड़ा। वर्तमान गोवा प्रदेश की चार तहसीलों में उनका राज्य शुरू में स्थिर हुआ। इस क्षेत्र में उन्होंने लोगों का जबरदस्ती मतांतरण किया। ईसाई छोडकर सभी के नागरिक अधिकार छीन लिये गये। हिन्दू देवी–देवताओं के मंदिर निर्दयता से तोडे गये। हिन्दू लोगों को हीदन, इन्फिडेल, पॅगन आदि विशेषणों से अपमानित किया जाने लगा। मतांतरण के बाद भी ईसाई चर्च के पादरी चैन से नहीं बैठे। उन्होने नवागत ईसाईयों पर भी कई निर्बंध लगाये। सब लोगों को सूअर का मांस खाने पर विवश किया। जो लोग सूअर का मांस खाने से इन्कार करते थे उन्हें जिन्दा जलाना या पहिये से बॉधकर अतिशय गति से घुमाना आदि प्रकार की सजायें दी जाने लगीं। कोडे लगाना तो सबसे छोटी और आम सजा होती थी। शिवाजी महाराज के उदय के बाद इन सजाओं का आतंक थोडा कम हुआ लेकिन तानाशाही वृत्ति किसी भी प्रकार से कम नहीं हुई।

पुर्तगालियों के आगमन के पैंतालीस साल बाद 1555 में कुंकल्ली नामक गांव में स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिनगारी भड़की। इस संग्राम में भाग लेने वालों की जायदाद जब्त कर ली गई और कुंकल्ली, असोलणे आदि गावों मे रहने वाले लोगों को अपराधी घोषित किया गया। 1580 में फिर एक बार इन्हीं गांववासियों ने असहकार आंदोलन किया, इस समय भी कई नेताओं को चर्चा का आमंत्रण देकर बुलाया गया और छल से उनकी हत्या कर दी गई।

पुर्तगालियों के द्वारा व्याप्त गोवा को दो हिस्सों में बांटा जाता है। पूर्व व्याप्त प्रदेशों में एक समय एक भी हिन्दू नहीं बचा था। आज भी इन प्रदेशों में ईसाइयों की बहुसंख्या है। अठारहवीं सदी में कुछ और प्रदेश पुर्तगालियों द्वारा हथियाये गये। इन्हें उत्तर व्याप्त प्रदेश कहते हैं।

ये प्रदेश आज भी हिन्दू बहुल हैं। इन प्रदेशों

का एक हिस्सा सत्तरी नामक तहसील है। यहां के राणे नामक जागीरदार परिवार ने अपने हकों की रक्षा के लिये पोर्तुगालियों से लोहा लिया। इनमें दिपाजी राणे का नाम सर्व ज्ञात है। यह लडाई 1755 से लेकर 1822 तक चली । आखिर उन्हें राणे की शक्ति के सामने झुकना पडा। इसके बाद कुष्टोबा राणे, दादा राणे आदि स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा पोर्तुगाली सत्ता को आहवान दिया गया। इनमें से कई लोगों को तिमूर द्वीप पर भेजा गया वहॉ से इनमें से कोई भी वापस नहीं आया। इस तरह गोवा का स्वतंत्रता संग्राम कभी भी नहीं रुका। वह अविरत चलता रहा।

डॉ. राममनोहर लोहिया का योगदान

1913 में पुर्तगाल में राज्यक्रांति हो गई और देश गणतंत्र बन गया? परिणामस्वरूप गोवा के हिन्दुओं को नागरिकता मिल गयी। हिन्दू समाज के जन्म, विवाह, अंतिमसंस्कार आदि पर लगी पाबंदी हटाई गई। लेकिन 1931 में डॉ. आंतोनिओ ओलिवेरा सालाझार नामक तानाशाह ने सत्ता की बागडोर संभाली और फिर से दमनचक्र शुरू हो गया। पुलिस के आतंक का जनता पर इतना दबाव था कि लोग शाम होने के बाद बाहर नहीं निकलते थे। महिलायें दिन में भी अकेले कहीं नहीं जाती थी। पुलिस को इतने अधिकार दिये गये थे कि अगर थाने पर किसी की मौत हो गई तो उसकी जॉच भी नही की जाती थी।

1946 का जून का महीना, डॉ. राममनोहर लोहिया उनके मित्र डॉ. जुलियाव मिनेझिस के घर असोलणे नामक गांव में विश्राम के लिये आये थे। मिलने के लिये आते–जाते लोगों से उन्हें पता चल गया कि गोवा की सरकार अंग्रेजों से भी बढकर है। उनके स्वभाव के अनुसार उन्होंने भाषण और प्रकट सभा पर लगी पाबंदी को तोडने का निश्चय किया। मंगलवार दि. 18 जून 1946 को मडगाव शहर के एक मैदान में (जो अब लोहिया मैदान के नाम से जाना जाता है) सभा बंदी का सरकारी आदेश तोडकर डॉ. लोहिया ने भाषण शुरू कर दिया। उन्हें रोकने के लिये एक पोर्तुगाली अधिकारी पिस्तौल तानकर उनके सामने आया। लोहिया जी ने उसे ऐसा झटका लगाया कि पिस्तौल उसके हाथ से गिर पडी। वहॉ इकट्ठे हुये स्थानिक नेताओं को पकडकर सजा दी गयी और डॉ. लोहिया को विदेशी घोषित करके गोवा के सीमा पार भेज दिया गया। इसी दिन से गोवा के स्वतंत्रता संग्राम की आग फिर से भडकने लगी। यही डॉ. लोहिया का गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति सबसे बडा योगदान रहा।

प्रधानमंत्री नेहरू की डरपोक नीति

भारत की विदेश नीति प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विचारों पर आधारित थी। वे हमेशा पश्चिमी राष्ट्रों के दबाव में आकर गोवा के बारे में निर्णय करते थे। 1954 में युनायटेड फ्रंट ऑफ गोवा द्वारा दादरा और आझाद गोमंतक दल द्वारा नगरहवेली ये दो छोटे से प्रदेश पोर्तुगालियों के चंगुल से मुक्त करके भारत में सम्मिलित किये गये। इस घटना से भी पं. नेहरू संतुष्ट नही थे।

गोवा की स्वतंत्रता की लड़ाई गोवा के लोगों द्वारा ही चलाई जानी चाहिये, यह उनका मत था। उन्होंने स्वतंत्र भारत के नागरिकों के गोवा स्वतंत्रता संग्राम में सहभागिता पर पाबंदी लगाई थी लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी और इस डरपोक नीति को कभी भी नहीं अपनाया। परिणामतः देश के हर कोने से सत्याग्रही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल होते रहे।

सचिवालय पर तिरंगा फहराया

1954–1955 गोवा मुक्ति आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण कालखंड रहा। 15 अगस्त

1954 के दिन पुणे निवासी युवक हेमंत सोणम अकेले गोवा की राजधानी पणजी तक आ पहुँचा। उसने शहर के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित सचिवालय पर फहराने वाला पोर्तुगाली झंडा उतारकर उसकी जगह भारत का तिरंगा फहराया। उसे जब पकडा तो पुलिस थाने पर उसने बडा प्रभावशाली वक्तव्य दिया। उसने कहा कि गोवा भारत का अविभाज्य हिस्सा होने के कारण उसे मुक्त करने का कर्तव्य मैं निभा रहा हूँ और इसीलिये मैंने सत्याग्रह किया है। उसे इतनी निर्दयता से पीटा गया कि वह बेहोश हो गया। सबको लगा कि हेमंत सोमण की मृत्यु हो गई। पूरे मुंबई राज्य में लोगों ने हडताल की। मुंबई के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई को उस समय विपक्ष के नेताओं ने कई प्रश्न पूछकर निरुत्तर कर दिया।

पुणे में 26 और नाशिक में 27 अगस्त को बंद का आवाहन किया गया जो पूरी तरह से सफल रहा। गोवा की सीमा से सटे हुए सावंतवाडी, बेलगाव और कारवार प्रदेशों में पूरा मातम छा गया। यह समाचार अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्रों तक पहुचने के कारण पोर्तुगाली शासन को हेमंत सोमण की तबीयत पर पूरा ध्यान देना पडा और ठीक होते ही उसे गोवा के सीमा पार भेज दिया गया। यही युवक बाद में कई साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक रहा।

जब हेमंत सोणम पर मुकदमा चल रहा था, तभी पांच सितंबर को और एक उत्साहवर्धक घटना घटी। नर्मदा प्रसाद शर्मा नामक ग्वालियर के एक युवक ने सुरक्षा रक्षकों के समक्ष सचिवालय पर तिरंगा फहराया और जय हिंद के नारे लगाये। उसे भी पुलिस के हाथों मार खानी पडी। गोवा को विदेशी सत्ता के चंगुल से छुडाकर भारतीय स्वतंत्रता को पूर्णत्व प्रदान करना यही मेरा ध्येय है ऐसा उसने अपने बयान में कहा। उसे भी सीमा पार किया गया।

अत्याचारी न्याय व्यवस्था

16 सितंबर 1954, पीटर आल्वारीस, माधव पंडित, महादेवशास्त्री जोशी, ना. ग. गोरे, शिरूभाऊ लिमये, सिंधु देशपांडे, पुंडलीक कातगडे आदि सत्याग्रही बांधवों ने तेरेखोल नामक सीमावर्ती गांव में प्रवेश किया। पोर्तुगाली सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेरा डालकर बंदूक के दस्तों से पीटा। उन्हें पणजी पुलिस थाने पर लाया गया । वहां आर्जेत मोंतेरो नामक पुलिस अधिकारी था। वह यम का अवतार माना जाता था। उसने भी उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया। मोंतेरो के आतंक के कारण पूरे गोवा के लोग सहमे हुये थे। उसकी मनमानी इतनी चलती थी कि वह निरपराध लोगों को भी पकडकर अपने गुस्से का शिकार बनाता था। इस काल में कई युवक लापता हो गये, कई युवक आजीवन विकलांग हो गये।

इसी दिन सत्तरी तहसील में सुर्ल नामक गांव में सीमा लांघ कर तेरह सत्याग्रहियों ने गोवा में प्रवेश किया। उनमें आठ पुणे, दो खानापुर, एक मुंबई, एक बार्शी और एक संकेश्वर से आये हुये थे। इनमें समाज के सभी प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग थे।

29 सितंबर के दिन पेडणे तहसील के चांदेल गांव में सत्याग्रहियों ने प्रवेश किया। इनमें भी विभिन्न प्रांतों के निवासी थे। उनके हाथ में तिरंगा और इसके अलावा एक बडा भित्तिपत्रक था जिस पर गांधीजी के नमक सत्याग्रह का चित्र था। इसी दिन और कई जगहों पर सत्याग्रह किया गया।

पुर्तगालियों की न्याय व्यवस्था भी अत्याचारी थी। गोवा के बाहर से आने वाले सत्याग्रहियों को कम सजा दी जाती थी और उन्हें विदेशी नागरिक करार कर वापस भेजा जाता था। गोवा के नागरिकों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता था। इसका न्यायाधीश

क्वाद्रूश नामक पुर्तगाली व्यक्ति था। वह मनमानी सजा देता था। इसी कारण उस न्यायाधीश को देशभक्तों द्वारा लेटर बम भेजा गया जिससे उसके दाहिने हाथ की उंगलियां कट गयीं।

आजाद गोमंतक दल

पोर्तुगाली आतंक के सामने अहिंसा के मार्ग से हम जीत नहीं सकते, ऐसा सभी को अनुभव हुआ। इसी कारण सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखने वाले कई युवकों ने आजाद गोमंतक दल नामक संघटना की स्थापना की।

महाराष्ट्र के सांगली निवासी मनोहर आपटे नामक युवक का बचपन से रा. स्व. संघ से संबंध था। स्वातंत्रवीर सावरकरजी के बंधु बाबाराव सावरकर उन दिनों सांगली में रहते थे। उनसे प्रेरणा लेकर अपना नाम बदलकर उसने मोहन रानडे नाम से गोवा में प्रवेश किया। सावईवेरे गांव में रहकर उसने क्रांतिकार्य किया। वहां का रेजीदोर (पटेल) कुस्तोदियो उनके कार्य की खबर पुलिस तक पहुँचाता था। मोहन रानडे ने एक दिन कुस्तोदियो को मौत के घाट उतार दिया।

26 अक्तूबर विजया दशमी के अवसर पर राजधानी पणजी के नजदीक बेती पुलिस थाने पर मोहन रानडे और आजाद गोमंतक दल के उनके साथियों ने हमला किया। इसमें गोली लगने के कारण वे घायल हो गये और उनके हाथ लग गये। उन्हें पोर्तुगाल के लिस्बन जेल में रखा गया और गोवा मुक्त होने के दस साल बाद उन्हें छोड़ा गया।

गोवा मुक्ति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

1954 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से पुणे में नगरहवेली की मुक्ति के बाद इसका नाम बदलकर गोवा विमोचन सहायक समिति रखा गया। यद्यपि रा. स्व. संघ की ओर से पूरी कोशिश की जा रही थी फिर भी इसमें सभी पार्टियों और विचारों के लोग सम्मिलित हुये थे। 1955 में मई से लेकर जुलाई तक सत्याग्रह करने वालों के जत्थे भेजे जाने लगे। इन लोगों में बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब आदि प्रांतों के लोगों का समावेश था। एक तरह से यह पूरे देशवासियों का कार्यक्रम बना। इनमें मुख्यतः फॉरवर्ड ब्लॉक के त्रिदिबकुमार चौधरी, समाजवादी नेता नांदेडकर, देविदास तेजा, आदि का समावेश था।

इसी से प्रेरणा लेकर मंगलूर में श्री. दारोदार राव के नेतृत्व में कर्नाटक सर्वपक्षीय गोवा विमोचन समिति का गठन किया गया और उन्होंने भी सत्याग्रहियों का एक दल गोवा में प्रवेश करने के लिए भेजा।

19 अगस्त 1947 को रा. स्व. संघ के भूतपूर्व प्रचारक वसंतराव ओक के नेतृत्व में एक दल ने गोवा मे प्रवेश किया। इनमें से पन्नालाल यादव, सरदार कर्नल सिंह, मधुकर चौधरी, सहोदरा देवी, राजाभऊ महाकाल हुतात्मा हो गये। तेरेखोल के किले पर हिरवे गुरूजी पुर्तगालियों की गोली के शिकार हो गये। इस कालखंड में वसंतराव ओक, जगन्नाथराव जोशी आदि नेताओं को कारावास झेलना पडा।

19 दिसंबर 1961

पुर्तगालियों के आगमन से लेकर उनके परास्त होकर वापस जाने तक न जाने कितने लोग उपनिवेशवाद के शिकार हुए। 1946 से शुरू हुये इस स्वतंत्रता संग्राम में 73 लोग हुतात्मा हो गये, इनमें से 35 यानी लगभग आधे देश के विभिन्न प्रांतों से आये थे।

आखिर भारत सरकार को गोवा मुक्ति के लिये सेना भेजनी पडी। आज गोवा अपनी स्वतंत्रता के पचास साल पूरा कर रहा है। पोर्तुगाली राज्यकाल में गोवा का विकास नहीं

महारानी लक्ष्मीबाई जयंती

कवर्धा में देशभक्ति नृत्य, भाषण एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन

कवर्धा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा इकाई द्वारा 1857 की वीरांगना रानी लक्ष्मी बाई की जयंती पर शा. आदर्श कन्या विद्यालय के सभागार में देश भक्ति नृत्य , रंगोली प्रतियोगिता तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में नारी की भूमिका विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

कार्यकम की मुख्य अतिथि श्रीमती अमिषा चन्द्रवंशी ने छात्राओं को संबांधित करते हुए कहा कि – इस देश को यदि मजबूत बनाना है तो नारी शक्ति को आगे आना ही होगा। आज की नारी शक्ति भारत के प्रत्येक क्षेत्र में– राजनीति, सामाजिक, सुरक्षा, वैज्ञानिक आदि हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देश का नेतृत्व कर रही है। उन्होंने उपस्थित छात्राओं से लक्ष्मीबाई जयंती के अवसर पर लक्ष्मीबाई के आदर्शों पर चल कर भारत देश को शक्तिशाली देश बनाने संकल्प लेने का आह्वान भी किया।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चन्द्रप्रकाश चंद्रवंशी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही देशभक्तों की जयंती के माध्यम से छात्र–छात्राओं में देश–भक्ति की भावना जागृत करने का कार्य कर रही है। देश के अनेक देश–भक्तों के बलिदान के कारण हमारा देश आजाद हुआ लेकिन आज पुनः कुछ भ्रष्ट राजनेताओं, उद्योगपति तथा अधिकारियों के हाथों में गुलाम हो गया है जिससे मुक्त कराने के लिये हमको आगे आना होगा

अभाविप के नगर अध्यक्ष प्रमोद शुक्ला ने कहा कि आज बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है जिसके कारण से देश के अनेक राज्यों में लडकों की अपेक्षा लडकियों की संख्या कम होती जा रही है। यदि बेटियां नही रहेगी तो संसार नही रहेगा। इस दुनिया को बचाने के लिये बेटियों की आवश्यकता हमेशा रहेगी।

निर्णायक श्रीमती पूनम सांखला, श्रीमती प्रीति दूबे तथा पूनम सोनी द्वारा प्रतियोगिता का निर्णय घोषित किया गया जिसमें देशभक्ति नृत्य प्रतियोगिता में हॉलीक्रास की छात्राओं ने प्रथम स्थान हासिल किया। रंगोली प्रतियोगिता में रानी लक्ष्मी बाई की जीवंत रंगोली बनाने वाली आदर्श कन्या हाईस्कूल की कु. कामिनी ठाकुर तथा भाषण प्रतियोगिता में सोनम पाली प्रथम स्थान पर रहीं ।

प्रतियोगिता से निखरती है प्रतिभा : कोश्यारी

हरिद्वार, 16 नवंबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित संस्कृत छात्र सम्मेलन एवं प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि छात्रों को अपने अंदर हीन भावना को नहीं लाना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कृत किया। निर्धन निकेतन में आयोजित कार्यक्रम में कोश्यारी ने कहा कि छात्र चाहे किसी भी क्षेत्र में चला जाए, उसे अपनी संस्कृति और सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए। प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्र के भीतर छिपी प्रतिभा निखरकर आती है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए स्वामी हरिचेतनानंद ने कहा कि संस्कृत छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को भी आगे आना चाहिए, जो सुविधाएं फिलहाल संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए दी जा रही हैं वह काफी कम हैं। प्रतियोगिता में प्रथम रही अंकिता अधिकारी, द्वितीय रहे विशिष्ट बहुगुणा तथा तृतीय रही ललिता पांडे को नकद पुरस्कार और शील्ड प्रदान किया गया।

इस मौके पर अभाविप के प्रांत प्रमुख ईश्वर सुयाल ने संस्कृत छात्रों की ओर से 17 सूत्री मांगपत्र कोश्यारी को सौंपकर समस्याओं का तत्काल निराकरण कराने की मांग की।

हिन्दुओं के दमन का सेकुलर षड्यंत्र

प्रो. राकेश सिन्हा

बाल गंगाधर तिलक, महर्षि अरविन्द, लाला लाजपत राय, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसी राष्ट्रवादी विभूतियों की बात तो दूर सोनिया पार्टी की मुस्लिम तुष्टीकरण राजनीति अगर इसी रफ्तार से जारी रही तो समाजवादी आचार्य कृपलानी, मार्क्सवादी बी.टी. रणदिवे, सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों पर भी सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने, कथित अल्पसंख्यकों को आहत करने एवं दुष्प्रचार करने के आरोप लग सकते हैं। फिर न सिर्फ उनके लेखों एवं प्रकाशित भाषणों पर प्रतिबंध लग सकता है बल्कि उन सब पर मरणोपरांत मुकदमा भी चल सकता है। यह बात अतिशयोक्ति नहीं, एक कटु सत्य है।

जे.पी. पर 1946 में मुस्लिम लीग ने सूखा–बाढ़ राहत के दौरान हिन्दुओं को मुस्लिमों के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया था। केरल में मार्क्सवादी सरकार द्वारा पचास के दशक में नई शिक्षा नीति लागू की गई थी। तब ईसाइयों ने उसका जमकर विरोध किया था।

उस समय रणदिवे ने कैथोलिक समुदाय को प्रतिक्रियावाद का एजेंट कहकर उन पर विदेशी धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था।

आचार्य कृपलानी के एक भाई का इस्लाम में मत परिवर्तन कराया गया था। उसने अपने एक और भाई का अपहरण कर उसे जबरन इस्लाम में मतान्तरित करा लिया था। तब कृपलानी ने इस्लाम पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह व्यक्ति को क्रूर बनाकर उसमें मजहब के प्रति अंधानुराग पैदा कर देता है। ये सभी बातें आपराधिक कानून के अंतर्गत आ जाएंगी यदि प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटिड वायलेंस बिल–2011 कानून बन जाता है तो।

जहर बुझा मसौदा

उस विधेयक के मसौदे पर गौर करें तो ऊपर कही गई बातों से कहीं अधिक घातक षड्यंत्र से पर्दा उठता है। विधेयक में कुल नौ अध्याय और 138 धाराएं हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह विधेयक आखिरकार क्यों लाया जा रहा है और उसका उद्देश्य क्या है, इस पर एक शब्द भी नहीं है। अर्थात् कोई प्रस्तावना नहीं है। विधेयक के पहले अध्याय में अवधारणाओं को परिभाषित किया गया है। यही परिभाषा संविधान, समाज और शासनतंत्र को तार–तार कर देती है। यह देश के नागरिकों के आपस में शत्रुतापूर्ण भाव रखने वाले दो वर्ग बना देती है। एक वर्ग में पांथिक और भाषायी अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को रखा गया।

इसे 'समूह' नाम से संबोधित किया गया है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए अलग आयोग और कानून हैं। उन्हें हर जगह अल्पसंख्यक मंसूबों पर पर्दा डालने के लिए ढाल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इसके पहले भी सच्चर कमेटी की अनुशंसा पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित समान अवसर आयोग विधेयक में भी कथित अल्पसंख्यकों के साथ अनुसूचित जातियों को रखा गया था।

भाषायी अल्पसंख्यकों का वजूद क्या है, यह रंगनाथ मिश्र आयोग (राष्ट्रीय भाषायी और पांथिक अल्पसंख्यक आयोग) के मसौदे से जाहिर होता है। भाषायी अल्पसंख्यकों के अस्तित्व पर ही आयोग ने सवाल खड़ा कर दिया है। अतः यहां समूह का तात्पर्य मूलतः मुस्लिम और ईसाई समुदायों से है। इस समूह से बाहर के लोगों को अन्य माना गया है। भारत के नागरिकों को दो अलग और शत्रुतापूर्ण भाव रखने वाले वर्गों में विभाजित करने के बाद सांप्रदायिक दंगा, लैंगिक अपराध, विद्वेषपूर्ण प्रचार इत्यादि को परिभाषित किया गया है। उसके अनुसार, दो सम्प्रदायों के बीच हिंसक वारदात को दंगा माना जाएगा। उस विधेयक के अनुसार, सिर्फ अल्पसंख्यकों यानी 'समूह' के सदस्यों के जान–माल की किसी भी प्रकार की क्षति 'साम्प्रदायिक और उद्देश्यपूर्ण' हिंसा मानी जाएगी। अगर हिन्दुओं को जान–माल की क्षति अल्पसंख्यक

समूह के सदस्यों द्वारा पहुंचायी जाती है तो यह साम्प्रदायिक या उद्देश्यपूर्ण हिंसा नहीं मानी जाएगी। (देखें, धारा 3(सी))।

अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति के व्यापार में बाधा पहुंचाने या जीविकोपार्जन में अड़चन पैदा करने या सार्वजनिक रूप से अपमान करने को शत्रुतापूर्ण वातावरण बनाने वाला अपराध माना गया है। कोई हिन्दू मारा जाता है, घायल होता है, उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, वह अपमानित होता है, उसका बहिष्कार होता है तो यह कानून उसे पीड़ित नहीं मानेगा।

पीड़ित व्यक्ति उस मसौदे के अनुसार सिर्फ वही है जो उस समूह का सदस्य है। अगर हिन्दू महिला अल्पसंख्यक वर्ग के किसी दुराचारी द्वारा बलात्कार का शिकार बनाई जाती है तो इस कानून के अंतर्गत उसे दंडित नहीं किया जा सकेगा। इसके विपरीत हिन्दू द्वारा बलात्कार का आरोप लगाये जाने पर वह दुराचारी संरक्षण पाने के लिये इस कानून का सहारा ले सकता है। विधेयक (धारा 7) के अनुसार, अगर अल्पसंख्यक समुदाय की महिला के साथ कोई उस प्रकार की घटना समूह के बाहर के व्यक्ति के द्वारा घटती है तो उसे लैंगिक अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। अर्थात् इमराना के श्वसुर द्वारा इमराना के साथ बलात्कार करना उस मसौदे के अनुसार बलात्कार नहीं था!

न बहस, न विमर्श

प्रस्तावित विधेयक में गवाह की नई परिभाषा रची गई है। अल्पसंख्यकों के साथ घटी घटना की जानकारी रखने वाला ही 'गवाह' होगा। उसके अनुसार बहुसंख्यकों के संबंध में जानकारी रखने वाला गवाह नहीं माना जाएगा। 'दुष्प्रचार' को दूसरे अध्याय की धारा–8 में इस तरह परिभाषित किया गया है कि इतिहास में से लाल–बाल–पाल जैसे चिंतकों का लिखा तो प्रतिबंधित हो ही जाएगा, पंथनिरपेक्षता पर वैकल्पिक बहस भी समाप्त हो जाएगी। आप बाइबिल, कुरान, मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम रीतियों–कुरीतियों, अल्पसंख्यक मांगों–आंदोलनों–संगठनों पर टीका–टिप्पणी, विमर्श नहीं कर सकते हैं।

कोई भी 'दूसरा' व्यक्ति (यानी हिन्दू) अगर बोलकर या लिखकर या विज्ञापन, सूचना या किसी भी तरह से ऐसा 'कुछ' भी करता है जिसे अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध भड़काऊ स्थिति पैदा करने वाला मान लिया जाता है तो उसे दुष्प्रचार–घृणा फैलाने का अपराधी माना जाएगा। इतिहासकार मुशीरुल हसन ने तो लाल–बाल–पाल को अल्पसंख्यकों को स्वतंत्रता आंदोलन में अलग–थलग करने का दोषी माना था। यानी अब लाल–बाल–पाल को प्रकाशित करने, पढ़ने और उद्धृत करने वाले जेल जाने के लिए तैयार रहें!

विधेयक में कोई कसर नहीं छोड़ी गयी है। हिन्दू संगठनों को निशाना किस चतुराई से बनाया गया है, इसे देखिए। अगर कोई बहुसंख्यक समाज का व्यक्ति अल्पसंख्यक समाज के लिए उपरोक्त किन्हीं भी अपराधों का दोषी है तो उस संगठन के मुखिया पर भी आपराधिक कानून लगाया जाएगा जिससे उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है। संगठन भले ही पंजीकृत हो या न हो। मान लीजिए, किसी गांव या शहर में कोई क्लब या रामलीला कमेटी है। उसका कोई सदस्य अल्पसंख्यक व्यक्ति पर छींटाकशी या उसका बहिष्कार करता है या व्यापार में परस्पर झगड़ा हो जाता है तो उस क्लब या रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा चलेगा। व्यापार एवं रोजगार में यह विधेयक समुदायों के बीच अंतरनिर्भरता को पूरी तरह समाप्त कर देगा, राष्ट्र के बीच एक अघोषित सांप्रदायिक राष्ट्र को जन्म देगा।

हिन्दू ही होगा अपराधी

बचाव का बस यही रास्ता रह जाएगा कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के मन, मानसिकता, मस्तिष्क के अनुकूल व्यवहार करें एवं दासत्व के भाव से रहें। किसी अल्पसंख्यक ने बहुसंख्यक से रोजगार या किराए पर घर मांग लिया तो बिना योग्यता या अनुकूलता का विचार किए आप यदि हां नहीं कहेंगे तो आप आपराधिक कानून के शिकार होंगे। शिया–सुन्नी, ईसाई–मुस्लिम झगड़े पर यह कानून लागू नहीं होगा। उन्हें दंगा करने का कथित विशेषाधिकार दिया गया है। अनुसूचित जाति या जनजातियों को उस मसौदे में इसलिए रखा गया है कि अगर आप उन पर ईसाई मिशनरियों द्वारा सुनियोजित मतान्तरण या इस्लामिक पेट्रो डालर का उपयोग करने का आरोप लगाएंगे, सत्य उजागर

जन्मदिवस विशेष

महामना के जीवनादर्श

आशुतोष मिश्रा

बात उन दिनों की है जब महामना मदनमोहन मालवीय ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना कुछ ही समय पहले की थी। कभी–कभी प्राध्यापक उद्दंड छात्रों को उनकी गलतियों के लिए आर्थिक दंड दे दिया करते थे, मगर छात्र उस दंड को माफ कराने मालवीय जी के पास पहुंच जाते और महामना उसे माफ भी कर देते थे। यह बात शिक्षकों को अच्छी नहीं लगी और वह मालवीय जी के पास जाकर बोले, 'महामना, आप उद्दंड छात्रों का आर्थिक दंड माफ कर उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। इससे उनमें अनुशासनहीनता बढ़ती है। इससे बुराई को बढ़ावा मिलता है। आप अनुशासन बनाए रखने के लिए उनके दंड माफ न करें।'

मालवीय जी ने शिक्षकों की बातें ध्यान से सुनीं फिर बोले, 'मित्रो, जब मैं प्रथम वर्ष का छात्र था तो एक दिन गंदे कपड़े पहनने के कारण मुझ पर छह पैसे का अर्थ दंड लगाया गया था। आप सोचिए, उन दिनों मुझ जैसे छात्रों के पास दो पैसे साबुन के लिए नहीं होते थे तो दंड देने के लिए छह पैसे कहां से लाता। इस दंड की पूर्ति किस प्रकार की, यह याद करते हुए मेरे हाथ स्वतः छात्रों के प्रार्थना पत्र पर क्षमा लिख देते हैं।' शिक्षक निरुत्तर हो गए।

भारत–भूमि पर समय–समय पर अनेक महान् विभूतियों ने जन्म लिया। इन महान् विभूतियों में पंडित मदनमोहन मालवीय भी एक ऐसे महापुरुष हुए, जिन्हें लोग 'महामना मालवीय' के नाम से जानते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय महान स्वतंत्रता सेनानी,राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद के साथ एक बड़े समाज सुधारक भी थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के संस्थापक मालवीय जी कुशल राजनेता, विद्वान शिक्षाविद् और मुखर स्वतंत्रता सेनानी के साथ ही समाज के प्रति अपने दायित्वों को जीवनभर पूरे समर्पण से निभाते रहे।

25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में जन्मे पंडित मदन मोहन मालवीय अपने महान कार्यों के चलते 'महामना' कहलाए। मालवीय जी के पिता का नाम ब्रजनाथ और माता का नाम भूनादेवी था। मालवा के मूल निवासी थे इसलिए मालवीय कहलाए। समाज–सेवा और राजनीति के साथ ही साथ मालवीयजी हिन्दुस्तान पत्र का संपादन भी करने लगे। बाद में मालवीयजी ने प्रयाग से ही अभ्युदय नामक एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला। पत्रकारिता के प्रभाव और महत्व को समझते हुए मालवीयजी ने अपने कुछ सहयोगियों की सहायता से 1909 में एक अंग्रेजी दैनिक–पत्र लीडर भी निकालना शुरु किया।

ब्राह्मण परिवार में जन्मे पंडित मदन मोहन मालवीय ने पांच साल की उम्र में पंडित हरदेव की धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला में संस्कृत में शिक्षार्जन आरंभ किया। इलाहाबाद जिला स्कूल से स्कूली शिक्षा ग्रहण के बाद उन्होंने म्योर सेंट्रल कॉलेज से मैट्रीकुलेशन किया। यह कॉलेज आज का इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। उन्होंने कलकता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की।

उन्होंने जुलाई, 1884 में इलाहाबाद जिला स्कूल में बतौर शिक्षक अपना करियर शुरू किया, लेकिन राजनीति में भी लगातार सक्रिय रहे। जुलाई, 1887 में वह राष्ट्रवादी साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक बने। इस दौरान कानून की पढ़ाई करने के बाद पहले इलाहाबाद जिला न्यायालय और बाद में दिसंबर, 1893 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने लगे। शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए उन्होंने 1911 में प्रेक्टिस छोड़ दी, हालांकि चौरा–चौरी कांड में 177 स्वतंत्रता सेनानियों को मृत्युदंड दिए जाने के खिलाफ वह फिर अदालत में उतरे और अपनी दलीलों से 156 को बरी करवाने में सफल रहे।

इस दौरान पूरी तरह राजनीति में रम चुके नरमपंथी नेता मालवीय को 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। वे चार बार–1909, 1918, 1930 तथा 1932 में अध्यक्ष बने। मालवीयजी इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बाद में इसके परिवर्तित रूप सेंट्रल लेजिस्लेटिव एसेम्बली के सदस्य भी रहे। 1920 के दशक के प्रारंभ में वह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में प्रमुख नेता के रूप में उभरकर सामने आए। सन् 1928 में उन्होंने लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू आदि के साथ मिलकर साइमन आयोग का जबर्दस्त विरोध किया।

तुष्टीकरण के विरोधी मालवीयजी ने 1916 के लखनऊ पूना पैक्ट में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का विरोध किया। वह खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस के शामिल होने के खिलाफ थे। उन्होंने गांधीजी को देश विभाजन की कीमत पर आजादी के खिलाफ चेताया था। उन्होंने भी 1931 में पहले गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 'सत्यमेव जयते' को उन्होंने ही लोकवाक्य बनाया। वह कई पत्र–पत्रिकाओं के संपादक भी रहे।

मालवीय जी भारत को हिंदू राष्ट्र स्वीकारते थे। अस्तु, यहाँ के निवासी हिंदू हैं। उनको अपने राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र कहना चाहिए। न्याय और धर्म की बात यह है कि प्रत्येक देश तथा जाति के लोग अपने देश में स्वाधीन हों, अपने विचारों को प्रकट करने में स्वतंत्र हों और वे अपने ऊपर स्वयं राज करें। सबको रोजी–रोटी मिले। अपने देश में अपने ऊपर स्वयं राज करें। पराधीनता की बात स्वप्न में भी नहीं सोचनी चाहिए। यदि इस्लाम धर्म के मानने वाले हिंदुओं के साथ हिल–मिलकर रहना चाहते हैं, तो उन्हें हिंदुओं के धर्म का आदर करना चाहिए।

गौ, गंगा व गायत्री मालवीय जी के प्राण थे। गंगा के लिए वे लगातार सक्रिय रहे। मालवीय जी ने सन् 1913 में हरिद्वार में बांध बनाने की अंग्रेजों की योजना का विरोध किया था। उनके दबाव में अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा था। तत्कालीन भारत सरकार ने महामना के साथ समझौता किया था। इस समझौते में गंगा को हिन्दुओं की अनुमति के बिना न बांधने व 40 प्रतिशत गंगा का पानी किसी भी स्थिति में प्रयाग तक पहुंचाने की शर्त शामिल थी। मालवीय जी ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में बाकायदा एक बड़ी गौशाला बनवायी थी। इस गौशाला को देखरेख के लिए विश्वविद्यालय के कृषि कालेज को सौंपा गया था। गंगा उन्हें इस कदर प्यारी थी कि उन्होंने न सिर्फ गंगा के लिए बड़े आंदोलन किए वरन गंगा को विश्वविद्यालय के अन्दर भी ले गये थे, जिससे कि पूरा प्रांगण हमेशा पवित्र रहे।

महामना मालवीय जी ने शिक्षा के प्रसार और इसे नया स्वरूप प्रदान करने पर इतना बल इस कारण दिया, क्योंकि वह इसे सांस्कृतिक जागरण का प्रधान अंश मानते थे। उन्नीसवीं सदी के अंतिम दशकों में भारत में जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा था, मालवीय जी उससे प्रभावित हुए।

उनकी वाणी में, विचारों में और मान्यताओं में उस सांस्कृतिक उत्थान की झलक मिलती है। जिससे उनके युग के अनेक राष्ट्रवादी अनुप्राणित हुए थे। वह भारत में चल रहे पुनरुत्थान का काल था, जिसमें यहाँ के राष्ट्रनेताओं ने भारतीयों में आत्मविश्वास और स्वाभिमान जगाने का कार्य किया। मालवीय जी के कार्यों ने भी आत्मविश्वास और स्वाभिमान जगाने का कार्य किया। मालवीय जी के कार्यों की मूल परिकल्पना इसी प्रवृति से उपजी। उन्होंने विशेष रूप से भारत की सांस्कृतिक धरोहर की ओर देखा, उसके गौरवमय इतिहास से प्रेरणा ग्रहण की और भारतीयता के प्रति अनुराग जगाने का सदैव कार्य किया। इसी दृष्टि से उन्होंने भारतीय भाषाओं को विकसित करने तथा संस्कृत के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया।

मालवीय जी का विश्वास था कि राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है, जब वहाँ के निवासी सुशिक्षित हों। बिना शिक्षा के मनुष्य पशुवत् माना जाता है। मालवीय जी नगर–नगर की गलियों तथा गाँवों में शिक्षा का प्रचार–प्रसार में जुटे थे। वे जानते थे कि व्यक्ति अपने अधिकारों को तभी भली–भाँति समझ सकता है, जब वह शिक्षित हो। संसार के जो राष्ट्र आज उन्नति के शिखर पर हैं, वे शिक्षा के कारण ही हैं। बनारस हिंदू विश्व विद्यालय मालवीयजी के परिश्रम का प्रतिफल है।

राष्ट्र की सेवा के साथ ही साथ नवयुवकों के चरित्र–निर्माण के लिए और भारतीय संस्कृति की जीवंतता को बनाए रखने के लिए मालवीयजी ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु धन जुटाने के लिए वे भारत के कोने–कोने में गए। मालवीय जी ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में वसंत पंचमी के पुनीत दिवस पर की। इस विश्वविद्यालय के मूल में डा. एनी बेसेन्ट द्वारा स्थापित और संचालित सेन्ट्रल हिन्दू कॉलेज प्रमुख था।

अपने जीवन–काल में पत्रकारिता, वकालत, समाज–सुधार, मातृ–भाषा तथा भारतमाता की सेवा व जीवनपर्यन्त आजादी का सपना देखने वाला माँ भारती का यह सच्चा सेवक 12 नवंबर 1946 को देश को आजादी की दहलीज पर छोड़कर चल बसा। इस महापुरुष, मनीषी, मंगलघट, महाधिवक्ता, महानायक, महासेवी, महादेशभक्त, महामहिम, महामना मदनमोहन मालवीय को शत–शत नमन।

पुस्तक समीक्षा

हिंद स्वराज की अनंत यात्रा

नई दिल्ली, 19 नवंबर। ऐसी परिस्थिति में जहाँ चारों तरफ उच्चतर मूल्यों का अँधेरा ही अँधेरा दिख रहा हो तो 'हिंद स्वराज ' प्रकाश के रूप में मानव सभ्यता को एक मार्ग दिखा रहा है । सत्य, अहिंसा और नैतिक मूल्यों के आधार पर एक नए भविष्य का प्रारूप व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के सामने सौ वर्ष पूर्व प्रस्तुत किया था। वह आज भी प्रासंगिक दिख रहा है ।

अजय कुमार उपाध्याय की पुस्तक 'हिंद स्वराज की अनंत यात्रा' से उद्घृत ये अंश वर्तमान भारत में हमारे निजी जीवन से लेकर सत्ता शीर्ष तक व्याप्त भ्रष्टाचार, भारतीयों में पाश्चात्य की अंधाधुंध नकल और वैश्विक आतंकवाद की हिंसक भयावहता के दौर में 'हिंद स्वराज ' के दिखाए गये गाँधी के विचारों पर एक नई बहस खड़ी करते हैं । यहां यह उल्लेखनीय है कि अजय उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं।

'हिंद स्वराज' महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई वह किताब है, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के मकसद को साफ किया है। 'हिंद स्वराज की अनंत यात्रा' नाम की इस किताब में भी हिंद स्वराज की अवधारणा से लेकर कांग्रेस की शुरुआती यात्रा, बंग–भंग और राष्ट्रीय राजनीति, सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन समेत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय विश्व युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी और संघ जैसे उन तमाम मुद्दों और घटनाओं को सामने रखा गया है जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में नींव के पत्थर के रूप में काम किया। किताब उस समय के भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को सामने लाती है।

'हिंद स्वराज' को लेकर अब तक कई किताबें आई हैं लेकिन 'अजय कुमार उपाध्याय' की यह पुस्तक 'हिंद स्वराज' के आलोक में महात्मा गाँधी के जीवन की विराट यात्रा और हिंद स्वराज की पृष्ठभूमि का वर्णन करती है । महात्मा गाँधी का जीवन और उनके विचार साधारण व्यक्ति को भी महानतम कार्य करने के लिए प्रेरित

करता है । महात्मा गाँधी ने सत्य की खोज में ही अपने मोक्ष का मार्ग ढूंढ़ लिया था । सत्य के रूप में 'हिंद स्वराज' के आलोक में इनके जीवन की यात्रा से निकले वचन सन्देश बनकर सारी मानवता के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुए हैं । वास्तव में इनकी यात्रा की सार्थकता तब तक पूरी नहीं होती ,जब तक मनुष्यत्व की खोज पूर्ण नहीं होती ।

अजय कुमार उपाध्याय अपनी किताब की भूमिका में लिखते हैं कि स्वतंत्रता के उपरांत समाज में राज्य की जो प्रतिष्ठा एक नैतिक संस्था के रूप में हुई थी, राज्य ने न तो उसकी नैतिकता को समझा और न नीति को ही । नीति के अनुसार राज्य का यह उत्तरदायित्व था कि वह अपने 'स्व' की रक्षा करे। लेकिन राज्य ने अपनी आत्मा को खो दिया। उसकी आत्मा भी तो उसके नागरिक हैं। वह कभी भी अपने नागरिकों के प्रति नैतिक और सार्वभौमिक कल्याण योजना नहीं बना सका, अब तक राज्य ने सबसे क्रूर कार्य किया है । उसने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया कि नागरिकों की गरिमा, स्वतंत्रता और सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जा सकता है ? इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने कर्तव्यों को समझें । कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है, किन्तु अधिकार की चेष्टा करके अपने कर्म से विमुख होना, हमारे ही विनाश का कारण बन सकता है।

अजय कुमार द्वारा व्यक्त इन विचारों को वर्तमान भारतीय सत्ता प्रतिष्ठानों के चरित्र से जोड़कर देखा जाए तो सौ प्रतिशत सही दिखाई पड़ता है। परिस्थितियां बिलकुल आज से सौ साल पहले के अंग्रेजी राज्य से मिलती/जुलती है जहाँ जनता और सत्ताधीशों के बीच एक गहरी खाई थी। आज जनता की भूमिका महज मतदान की प्रक्रिया तक सीमित होकर रह गयी है। सामाजिक जीवन में बढ़ती अनैतिकता और पश्चिमी संस्कृति का आँख मूंद कर अनुकरण भारतीय समाज को किस ओर ले जा रहा है ? आधुनिक विकास की होड़ में आम आदमी विस्थापन के कगार पर खड़ा है, जबकि कभी गाँधी ने कहा था कि योजनायें बनाते समय समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े नागरिक को ध्यान में रखना चाहिए। वैश्विक आतंकवाद में आणविक अस्त्रों की भयावहता बढ़ती जा रही है। खनिज पदार्थों खासकर पेट्रोलियम भंडारों पर कब्जे की साम्राज्यवादी रणनीति और ईसाइयत–इस्लाम के बीच की लड़ाई का आतंकी स्वरुप पूरे विश्व को हिंसा की लपेट में ले चुका है। आज के हालात में गाँधी के विचारों और उनके सुझाए उपायों को अपना कर मानव समाज नव निर्माण की ओर अग्रसर हो सकता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरसंघचालक कु.सी. सुदर्शन ने हिन्दी भवन में अजय कुमार उपाध्याय की पुस्तक "हिन्द स्वराज की अनंत यात्रा" का लोकार्पण किया। श्री सुदर्शन ने बताया कि नेहरू को गांधी जी के ग्राम विकास का दर्शन ही पसंद नहीं था। वह तो पश्चिम के माडल से सदा प्रभावित रहे।

समारोह में डा. रामजी सिंह ने संसदीय प्रणाली की विफलता की ओर इंगित किया और कहा कि इसी प्रणाली ने एक बार आपातकाल थोपा और आगे भी इसी की वजह से देश तानाशाही के जाल में फंसेगा। समारोह को प्रो. देवेंद्र स्वरूप ने संबोधित किया। समारोह की अध्यक्षता डा. जवाहर लाल कौल ने की और धन्यवाद ज्ञापन प्रज्ञा संस्थान की ओर से प्रभात कुमार ने किया।

प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक अजय कुमार उपाध्याय की पुस्तक 'हिंद स्वराज की अनंत यात्रा 'वर्तमान सन्दर्भों में हिंद स्वराज को नए सिरे हमारे सामने प्रस्तुत करती है।

लेखक : अजय कुमार उपाध्याय

प्रकाशक : प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली

कीमत : 250 रुपये

पेज : 266

दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ वाईएसी का महाधरना

भ्रष्टाचार के विरोध में 'यूथ अगेन्स्ट करप्शन' (वाईएसी) के बैनर तले दिल्ली के जन्तर–मन्तर पर धरना दिया गया जिसमें दिल्ली के तीन विश्वविद्यालय के छात्रों और दिल्ली के कई सांस्कृतिक, धार्मिक एवं युवा संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भ्रष्टाचार के विरोध में ठोस कानून एवं विदेशों में जमा काले धन को वापिस लाने हेतु ठोस कानून बनाये जाने की मांग की।

वाईएसी ने मांग की कि संसद के शीतकालीन सत्र में भ्रष्टाचार के विरोध में कड़ा कानून बनाया जाए, विदेशी बैंकों में जमा काले धन के खाताधारियों के नाम सार्वजनिक हों। साथ ही उनकी सम्पत्ति जब्त हो, और इस काले धन को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित कर उसे भारत में वापस लाने हेतु कानून बनाया जाये।

धरने को सम्बोधित करते हुए अ.भा.वि.प. के राष्ट्रीय महामंत्री श्री उमेश दत्त ने कहा कि विदेशों में जमा धन देश की राष्ट्रीय सम्पति घोषित होनी चाहिए। 'यूथ अगेंस्ट करप्शन' की केंद्रीय टीम के सदस्य श्री गोपाल अग्रवाल ने 2–जी एवं कॉमनवेल्थ खेल घोटालों में शामिल लोगों पर कठोर कार्रवाई की मांग की।

धरने को अ.भा.वि.प. के राष्ट्रीय मंत्री श्रीरंग कुलकर्णी, वाईएसी संयोजक लव जैन, गौरव पाण्डे, प्रकाश चौहान, सुमित सेठ, विपिन डागर, मोनिका चौधरी, डॉ. योगेन्द्र पयासी, रोहित चहल, दीपक बंसल, विकास यादव, अमन आवाना, अंकित धनंजय, गौरव चौधरी, ध्रुवकर्ण पाल, गायत्री दीक्षित, राहुल शर्मा, चेतन शर्मा, नेहा सिंह और राहुल ठाकुर ने संबोधित किया।

प्रिय मित्रों,

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' का दिसम्बर अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें विभिन्न समसमायिक घटनाक्रमों तथा भ्रष्टाचार से संबंधित कई महत्वपूर्ण आलेखों एवं खबरों का संकलन किया गया है। आशा है यह अंक आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा।

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव और विचार हमें नीचे दिये गये संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई-मेल पर अवश्य भेजें-

"छात्रशक्ति भवन"
690, भूतल, गली नं. 21
फैज रोड, करोल बाग,
नई दिल्ली-110005.
फोन : 011-43098248
ई-मेल : chhatrashakti.abvp@gmail.com
वेबसाइट : www.abvp.org

मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी कानून

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

आपका कानूनी अधिकार है अब

5 दिन में
खसरे की नकल मिलना।

7 दिन में
स्थानीय निवासी का
प्रमाण पत्र मिलना।

7 दिन में
हैंडपंप का सुधार होना।

11 दिन में
नया बिजली कनेक्शन
प्राप्त करना।

15 दिन में
भू-अधिकार पुस्तिका मिलना।

30 दिन में
प्रसूति योजना का
लाभ प्राप्त करना।

30 दिन में
नल का कनेक्शन मिलना।

30 दिन में
नया राशन कार्ड बनना।

60 दिन में
सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलना।

जानें अपने हक़, मांगें अपने हक़

बृजेन्द्र प्रताप सिंह
राज्यमंत्री,
लोक सेवा प्रबंधन विभाग

नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध मध्यप्रदेश सरकार

जनसंपर्क मध्यप्रदेश द्वारा जारी

महाधरने को संबोधित करते हुए श्री सुनील आंबेकर

महाधरने को संबोधित करते हुए श्री मंत्री श्रीनिवास

ABVP

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad